वाराणसी स्मार्ट सिटी लि0,
नगर निगम मुख्यालय, सिगरा, वाराणसी

प्रेषक,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्मार्ट सिटी लि0, वाराणसी।

सेवा में,

अपर सचिव/मिशन निदेशक,
स्मार्ट सिटी, शहरी विकास मंत्रालय,
भारत सरकार।

प0सं0- 223/-प0आ0/16-17 दिनांक- 24/11/16

विषय :-वाराणसी स्मार्ट सिटी लि0 की प्रथम बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

वाराणसी स्मार्ट लि0 वाराणसी की प्रथम बैठक दिनांक-15.11.2016 को सम्पन्न हुयी, जिसकी कार्यवृत्ति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। इस संबंध में निम्न दो बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ठ किया जाना है-

1. उक्त बैठक में भारत सरकार की ओर से आकस्मिक रूप से श्री बी0के0 चौरसिया, संयुक्त सलाहकार शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिभाग किया गया। एस0पी0वी0 में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि नामित किया जाना प्रतिक्षित है।

2. श्री बी0के0 चौरसिया प्रतिनिधि, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी, वाराणसी लि0 के पी0एम0सी0 के चयन में समय लगने को दृष्टिगत रखते हुए प्लान के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु पी0एम0सी0 के विधिवत गठन की अवधि तक अस्थाई रूप में एन0बी0सी0सी0 से पी0एम0सी0 के रूप में कार्य लिये जाने पर विचार करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके क्रम मे एस0पी0वी0 द्वारा उक्त प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि इस संबंध में एन0बी0सी0सी0 को कोई भुगतान नही करना होगा।

अतः उक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि एस0पी0वी0 हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि नामित करने तथा अस्थाई रूप से पी0एम0सी0 के रूप में कार्य करने के लिए एन0बी0सी0सी0 को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(श्रीहरि प्रताप शाही)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
वाराणसी स्मार्ट सिटी लि0,

प0सं0- 223/-प0आ0/16-17 दिनांक- 24/11/16

प्रतिलिपि :-निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त/अध्यक्ष वाराणसी स्मार्ट सिटी लि0।
2. मुख्य प्रबन्ध निदेशक, एन0बी0सी0सी0।
3. श्री बी0के0 चौरसिया, संयुक्त सलाहकार, शहरी एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
वाराणसी स्मार्ट सिटी लि0,

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, वाराणसी

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को समय शाम 5.00 बजे कमिश्नर कंपाउंड के सभागार कक्ष में आयोजित वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक मंडल के प्रथम बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति

1- श्री नितिन रमेश गोकर्ण	:	निदेशक एवं अध्यक्ष / आयुक्त वाराणसी मंडल ।
2- श्री विशाल भारद्वाज	:	निदेशक /अपर निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय ।
3- श्री श्रीहरि प्रताप शाही	:	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / नगर आयुक्त, वाराणसी ।
4- श्री वी के चौरसिया	:	प्रतिनिधि- भारत सरकार ।
5- श्री ए. के. गुप्ता	:	निदेशक /अपर निदेशक क्षेत्रीय नगर, क्षेत्रीय एवं पर्यावरण अध्यन केंद्र, लखनऊ ।
6- श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव	:	निदेशक /उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी ।
7- श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव	:	निदेशक /मुख्य अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी ।
8- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	:	निदेशक /मुख्य अभियंता, उ. प्र. जल निगम, वाराणसी ।
9- श्री बिनोद कुमार	:	निदेशक /सहआयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन वाराणसी ।
10- श्रीमती नमिता उज्वल	:	कंपनी सचिव, ।
11- श्री दीपक मित्तल	:	चार्टर्ड एकाउंटेंट, ।

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

विषय	निदेशक मंडल का निर्णय
एजेन्डा नंबर- 1 निदेशक मंडल के अध्यक्ष के चयन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	कंपनी के आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 12 के अंतर्गत इस कंपनी के प्रथम निदेशक नामित किये गए है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निम्न प्रस्ताव पारित किया गया। "एतद्वारा संकल्प पारित किया जाता है कि श्री नितिन रमेश गोकर्ण, आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी का कार्यभार दिनांक 29.10.2016 से ग्रहण करने को संज्ञान में लेते हुये, वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में नामित किये जाने का स्वागत किया जाता है। "पुनः संकल्प लिया जाता है कि वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 12 में निहित प्राविधानो के अंतर्गत अध्यक्ष श्री नितिन रमेश गोकर्ण जो वर्तमान में मंडलायुक्त वाराणसी है, इस कंपनी में निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदन प्रदान किया जाता है।" "पुनः संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 12 के अंतर्गत श्रीहरि प्रताप शाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा प्रदान किया जाता है।"
एजेन्डा नंबर- 2 निगमन प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मंडल ने यह संज्ञान में लिया कि उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास के आदेश संख्या- **1205/NAU-5-2016-116SA/16 Dated 16th April 2016** के अनुपालनमें वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन "स्पेशल पर्पस वेहिकल (SPECIAL PURPOSE VEHICLE)" के रूप में किया गया है। कंपनी के गठन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ़

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

	इनकारपोरेशन दिनांक 29.10.2016 को जारी किया गया है जिसके अनुसार इस कंपनी का गठन इस तिथि से हो गया है ।
एजेन्डा नंबर- 3 **निदेशको की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।** उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या1205/NAU-5-2016-116SA/16 Dated 16th April 2016 के अनुपालन में निदेशको की संख्या अधिकतम 15 रखी गयी है तथा कंपनी का गठन तीन निदेशको के द्वारा किया गया है । निदेशक मंडल निर्णय लेना चाहे ।	निदेशक मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शासन एवं केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशकों का अनुमोदन किया गया एवं निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया :- 1- "संकल्प लिया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को निदेशक के रूप में नामित किये जाने का स्वागत किया जाता है ।" 2-- " पुनः संकल्प लिया जाता है कि अवधेश कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, लखनऊ को निदेशक के रूप में नामित किये जाने का स्वागत किया जाता है ।" 3-- "पुनः संकल्प लिया जाता है कि श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव मुख्य अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निदेशक के रूप में नामित किया जाने का स्वागत किया जाता है ।" 4- "पुनः संकल्प लिया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम को निदेशक के रूप में नामित किये जाने का स्वागत किया जाता है ।" 5- "पुनः संकल्प लिया जाता है कि श्री विनोद कुमार, सह आयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन वाराणसी को निदेशक के रूप में नामित किये जाने का स्वागत किया जाता है ।"
एजेन्डा नंबर- 4 **निदेशक के हित के प्रकटन (disclosure ऑफ़ interest) के सम्बन्ध में ।** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा - 184 के अंतर्गत सभी निदेशकों को अपनी प्रथम बैठक में फॉर्म नंबर MBP-1 के रूप में अपने	" संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 (1) सपठित 9(1) Companies (Meetings of boards and its powers rules-2014) के अनुपालन में

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

हित का प्रकटन (disclosure ऑफ़ interest) किया जाना विधिसम्मत है | कंपनी ने निदेशकों से अधिकृत फॉर्म प्राप्त कर लिया है | अतः निदेशक मंडल से अनुरोध है कि निम्न प्रस्ताव अनुमोदित करना चाहे- " संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 (1) सपठित 9(1) Companies (Meetings of boards and its powers rules-2014) के अनुपालन में निदेशकों से प्राप्त फॉर्म नंबर MBP-1 को संज्ञान में लिया जाता है |" "पुनः संकल्प लिया जाता है कि श्री श्रीहरि प्रताप शाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है |"	निदेशकों से प्राप्त फॉर्म नंबर MBP-1 को संज्ञान में लिया जाता है |" "पुनः संकल्प लिया जाता है किश्री श्रीहरि प्रताप शाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है |"
<u>एजेन्डा नंबर- 5</u> **<u>कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सम्बन्ध में |</u>** रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी कार्यालय कानपुर में दाखिल प्रपत्रों के साथ वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय : वाराणसी नगर निगम मुख्यालय, सिगरा, वाराणसी -221010 इस सन्दर्भ में रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज कार्यालय में दाखिल प्रपत्र निदेशक मंडल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है |	" संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल ने रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी कार्यालय कानपुर में दाखिल प्रपत्रों के साथ वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय : वाराणसी नगर निगम मुख्यालय, सिगरा, वाराणसी - 221010 को अधिकृत कर लिया हैं |" जिसे बाद में उपक्युत स्थल उपलब्ध / चयन होने पर अन्यत्र स्थानांतरित किया जायेगा |
<u>एजेन्डा नंबर- 6</u> **<u>वाराणसी स्मार्ट सिटी के Memorandum ऑफ़ Association and Articles ऑफ़ Association का प्रस्तुतिकरण तथा वाराणसी स्मार्ट सिटी के गठन व् परियोजनाओ के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 3004/नौ-5-2016-230सा/16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना |</u>** वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 3004/नौ-5-2016-230सा/16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 द्वारा	"संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल द्वारा वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 3004/नौ-5-2016-230सा/16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा कम्पनीज अधिनियम 2013 के शेड्यूल-1 के क्रमशः टेबल -ए एवं टेबल -एफ (आवश्यक संशोधनो के साथ) के अनुरूप है तथा शासनादेश संख्या 3004/नौ-5-2016-

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

अनुमोदित किया गया था तथा कम्पनीज अधिनियम 2013 के शेड्यूल-1 के क्रमशः टेबल -ए एवं टेबल -एफ (आवश्यक संशोधनो के साथ) के अनुरूप है तथा शासनादेश संख्या 3004/नौ-5-2016-230सा/16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को आर्टिकलऑफ़ एसोसिएशन का अभिन्न अंग बनाया गया है। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा शासनादेश संख्या 3004/नौ-5-2016-230सा/16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 की प्रति निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत है। अवलोकन करना चाहे।	230सा/16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन का अभिन्न अंग बनाया गया है जिसे अनुमोदित किया जाता है।"
एजेन्डा नंबर- 7 **कंपनी के कॉमन सील को अंगीकृत किये जाने एवं कॉमन सील के कस्टोडियन के चयन के सम्बन्ध में।** वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के समक्ष कॉमन सील का नमूना अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। निदेशक मंडल के अनुमोदन के फलस्वरूप अनुमोदित नमूने पर अध्यक्ष महोदय से हस्ताक्षर करना चाहे। तदनुसार यह कंपनी की कॉमन सील मानी जायेगी। कॉमन सील के रखरखाव एवं उसके उपयोग हेतु निदेशक मंडल से अनुरोध है कि किसी एक निदेशक को कस्टोडियन के रूप अधिकृत करना चाहे।	"संकल्प लिया जाता है कि वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की कॉमन सील का नमूना अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर से एवं निदेशक मंडल के अनुमोदन पश्चात इसे कंपनी का कॉमन सील मान लिया गया तद्पश्चात श्री श्रीहरि प्रताप शाही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कॉमन सील के कस्टोडियन के रूप में अधिकृत किया जाता है।"
एजेन्डा नंबर- 8 **Share Certificate के प्रारूप (Design) के अनुमोदन एवं कंपनी के सादे (Blank) Share Certificate के कस्टोडियन की नियुक्ति के सम्बन्ध में।** वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के समक्ष का शेयर सर्टिफिकेट का नमूना अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। निदेशक मंडल से अनुरोध है कि नमूने को अनुमोदन प्रदान करना चाहें। तदनुसार कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट की छपाई एवं सादे शेयर सर्टिफिकेट के रखरखाव के लिए एक निदेशक को अधिकृत करना चाहे। "संकल्प लिया जाता है कि श्री श्रीहरि प्रताप शाही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेयर सर्टिफिकेट की छपाई एवं रखरखाव के लिए अधिकृत किया जाता है।"	"वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के शेयर सर्टिफिकेट के नमूने को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया।" " पुनः संकल्प लिया जाता है कि श्री श्रीहरि प्रताप शाही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शेयर सर्टिफिकेट की छपाई एवं रखरखाव के लिए अधिकृत किया जाता है।"

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

एजेन्डा नंबर- 9

कंपनी के प्रथम अंशधारियों (Subscribers) को Share सर्टिफिकेट निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में |

वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी रु. 50.00 लाख निर्धारित की गई है | इस कंपनी के गठन में प्रथम अंशधारको के रूप में जिन अधिकारियो ने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किये है एवं उन्हें अंश (प्रति अंश रु. 100 मूल्य) आबंटित किये है, का विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	अंशधारियो के नाम	अंश	मूल्य (रु. में)
(1)	श्री नितिन रमेश गोकर्ण आयुक्त वाराणसी मंडल	500	50,000-00
(2)	श्री श्रीहरि प्रताप शाही, नगर आयुक्त, वाराणसी	24748	24,74,800.00
(3)	श्री विशाल भारद्वाज अपर निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन निदेशालय /नगरिया निकाय निदेशालय	24748	24,74,800.00
(4)	श्री बिनोद कुमार, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	1	100-00
(5)	श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, मुख्या अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी	1	100-00
(6)	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, उ. प्र. जल निगम, वाराणसी	1	100-00
(7)	श्री अवधेश कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, क्षेत्रीय	1	100-00

" निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या 3004/नौ-5-2016-230सा/16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 के अनुसार चुकता पूँजी 50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत केंद्र सरकार के पास निहित होगी इस सन्दर्भ में चूँकि राज्य सरकार की वर्तमान पूँजी के अनुसार सहभागिता अधिक होने के कारण श्री नितिन रमेश गोकर्ण, आयुक्त वाराणसी मंडल के 500 शेयर में से 249 शेयर श्री श्रीहरि प्रताप शाही नगर आयुक्त, एवं 249 शेयर्स श्री विशाल भारद्वाज अपर निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन / नगरीय निकाय निदेशालय को हस्तांतरित किया जाये |"

"पुनः संकल्प लिया जाता है कि कंपनी प्रथम अंशधारियो (subscribers) को एक -एक शेयर सर्टिफिकेट निर्गत करेगी एवं उसको सत्यापित करने हेतु दो निदेशक श्री श्रीहरि प्रताप शाही, नगर आयुक्त एवं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता उ. प्र. जल निगम, वाराणसी एवं एक अधिकृत हस्ताक्षरी श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को अधिकृत किया जाता है |"

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

	नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, वाराणसी ।			
(8)	श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी ।	1	100-00	

निदेशक मंडल से अनुरोध है कंपनी प्रथम अंशधारियो (subscribers) को एक -एक शेयर सर्टिफिकेट को निर्गत करने का अनुमोदन करना चाहे एवं उसको सत्यापित करने हेतु किन्ही दो निदेशकों एवं एक अधिकृत हस्ताक्षरी को अधिकृत करना चाहें ।

एजेन्डा नंबर- 10

निदेशक मंडल एवं अंशधारियों की बैठकों के कार्यवृत्तों को रखे जाने के सम्बन्ध में ।

कंपनी अधिनियम 2013 के प्राविधानो के अनुसार निदेशक मंडल, समितियों एवं अंशधारियों में कार्यवृत्त के अंकित किये जाने, भाषा, उसके रखरखाव पर विचार करना चाहें तथा किसी एक निदेशक को अधिकृत करना चाहें ।

"संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल, समितियों एवं अंशधारियों में कार्यवृत्त के अंकित किये जाने के लिए और उनके रखरखाव के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाये ।" "पुनः संकल्प लिया जाता है कि उपलिखित कार्यों के लिए श्री श्रीहरि प्रताप शाही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया जाता है ।"

एजेन्डा नंबर-11

कंपनी के वित्तीय वर्ष में निर्धारण के सम्बन्ध में ।

वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड का प्रथम वित्तीय वर्ष इसके गठन की तिथि 29.10.2016 से 31 मार्च 2017 तक होगा एवं आगामी समस्त वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होंगे । अतः इस कंपनी के प्रथम लेखे आयकर विभाग/कंपनी अधिनियम में प्रदत्त नियमों के अंतर्गत 29.10.2016 से 31.03.2017 तक के तैयार करने का अनमोदन प्रदान करना चाहें ।

"संकल्प लिया जाता है कि वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड का प्रथम वित्तीय वर्ष इसके गठन की तिथि 29.10.2016 से 31 मार्च 2017 तक होगा एवं आगामी समस्त वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होंगे ।"

"संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रार्थनापत्र भारत सरकार के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ़

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

एजेन्डा नंबर-12 **कंपनी के प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।** वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड शासनादेश संख्या- 1205/9-5-2016-116सा/16 दिनांक 16 अप्रैल, 2016 के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी के रूप में गठित की गई है । अतः कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार इसके प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ़ इंडिया, भारत सरकार के माध्यम से कराया जाना है । इस हेतु निदेशक मंडल से अनुरोध है कि प्रथम ऑडिटर कि नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रार्थना पत्र भारत सरकार से कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ़ इंडिया कार्यालय में दाखिल किये जाने एवं उनसे सम्बंधित अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु श्री श्रीहरि प्रताप शाही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत करना चाहें ।	इंडिया कार्यालय में दाखिल किये जाने एवं उनसे सम्बंधित अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु श्री श्रीहरि प्रताप शाही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया जाता है ।"
एजेन्डा नंबर-13 **कंपनी के प्रारंभिक व्ययों के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।** संज्ञानार्थ प्रस्तुत है कि वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की स्थापना के पूर्व प्रारंभिक व्यय का विवरण संलग्न है । यह व्यय इस कंपनी के प्रमोटर नगर निगम वाराणसी द्वारा किया गया है । निदेशक मंडल से अनुरोध है कि तदनुसार उपरोक्त प्रारंभिक व्यय का वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लेखों में लेखांकन का अनुमोदन प्रदान करना चाहें ।	"संकल्प लिया जाता है कि पूर्व प्रारंभिक व्यय रु. 53,06,684.00 एवम् सेवा कर अतिरिक्त जो कंपनी के प्रोमोटर नगर निगम वाराणसी द्वारा किया गया था उपरोक्त प्रारंभिक व्यय का वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लेखों में लेखांकन का अनुमोदन प्रदान किया जाता हैं ।" "पुनः संकल्प लिया जाता है कि अध्यक्ष महोदय के विचारानुसार किसी भी कार्य को कराये जाने हेतु औपचारिक / विहित प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए एवं समस्त खर्च सम्बन्धी देयकों की डुपलिकेसी को जॉच लिया जाय । पुनः यह विचार किया गया की किसी भी कार्य को करने के पहले उसका बजट निर्धारित कर लिया जाय ।"
एजेन्डा नंबर-14 **आवश्यकतानुसार कंपनी रजिस्ट्रार को आवश्यक पंजीकरण सहित प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने एवं दाखिल किये जाने हेतु एक अथवा एक से अधिक निदेशक को नामित किया जाना ।** निदेशक मंडल से अनुरोध है कि वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्बंधित परिपत्र जो समय - समय पर ई- फाइलिंग से रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी कार्यालय कानपुर/मिनिट्री ऑफ़ कंपनी अफेयर्स नई दिल्ली, आयकर विभाग अथवा अन्य कोई संस्था जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर करना अनिवार्य	"संकल्प लिया जाता है कि वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्बंधित परिपत्र जो समय - समय पर ई- फाइलिंग से रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी कार्यालय कानपुर, /मिनिस्टरी ऑफ़ कंपनी अफेयर्स नई दिल्ली एवं आयकर विभाग अथवा अन्य कोई संस्था जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो, में दाखिल किये जाने के लिए श्री श्रीहरि प्रताप शाही, मुख्य कार्यकारी

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

हो, में दाखिल किये जाने के लिए एक या एक से अधिक निदेशक को अधिकृत करना चाहें ।	अधिकारी एवं मुख्य वित एवं लेखाधिकारी को अधिकृत किया जाता हैं ।"
एजेन्डा नंबर-15 **Key Managerial post (KMP) की नियुक्ति किस प्रकार की जानी है, इस सम्बन्ध में चर्चा ।** निदेशक मंडल को अवगत कराना है कि Key Managerial Post (KMP) की नियुक्ति कंपनी अधिनियम की धारा 203 के अनुसार जिन कंपनी की चुकता पूँजी रु. 10 करोड़ या उससे अधिक है, उनमे निम्न पदों की नियुक्ति किया जाना विधिसम्मत है:- प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी इनमें से मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति शासनादेश संख्या 3004/नौ-5-2016-230सा/16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 तथा आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के उपबंध 12 के अनुसार की जा चुकी हैं तथा कंपनी की चुकता पूँजी रु. 50.00 लाख है जिसके अनुसार अन्य Key Managerial post (KMP) की नियुक्ति के प्राविधान कंपनी के ऊपर लागू नहीं होते ।	" संकल्प लिया जाता है कि मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियमित नियुक्ति होने तक, CF&AO, नगर निगम को मुख्य वित्तीय अधिकारी का भी कार्यभार सौंपा जाता है एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री श्रीहरि प्रताप शाही को नियुक्त किया जाता है ।"
एजेन्डा नंबर-16 **Key Managerial post (KMP) के रूप नियुक्त हुए व्यक्तियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण ।** निदेशक मंडल को अवगत कराना हैं कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जारी परामर्शी (एडवाइजरी) तथा आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में वर्णित Key Managerial post (KMP) के रूप में नियुक्त हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे :- a. Overseeing and managing the general conduct of the day-to-day operation of the company subject to the supervision and control of the Board. b. Entering into contracts or arrangements for and on behalf of the Company in all matters within the ordinary course of the Company's business.	"निदेशक मण्डल द्वारा key Managerial post (KMP) के रूप में नियुक्त हुए व्यक्तियों के दायित्व एवं भूमिका कम्पनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया ।"

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

c. To formulate and submit to the Board of Director for approval, a Human Resource Policy that will lay down procedures for creation of staff positions, qualifications of staff, recruitment procedures, compensation and termination Procedures. d. Recruitment and removal of the senior management of the Company and the creation of new positions in accordance with the Company's approved budget and the recruitment of increased number of employers in accordance with the Human Resource Policy approved by the Board. e. Supervising the work of all employees and managers of the Company and the determination of their duties, responsibilities and authority. f. Any other work assigned by the Board relating of affairs of the Company.	
एजेन्डा नंबर-17 **कंपनी संरचना के अंतर्गत Verticals/Levels का निर्धारण तथा प्रत्येक Vertical/Level में स्टाफ की संख्या का निर्धारण एवं उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण ।** निदेशक मंडल को अवगत करना है कि कंपनी की संरचना के अंतगर्त प्रारंभिक Verticals/Levels का निर्धारण उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3004/नौ-5-2016-230सा/16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 में अंकित हैं तथा भविष्य में कंपनी की आश्यकतानुसार Verticals/Levels में स्टाफ की संख्या का निर्धारण एवं परिवर्तन के लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लेना चाहें ।	"संकल्प लिया जाता है कि कंपनी की संरचना के अंतर्गत प्रारंभिक Verticals/Levels का निर्धारण उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3004/नौ-5-2016-230सा/16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 में अंकित हैं तथा भविष्य में कंपनी की आश्यकतानुसार Verticals/Levels में स्टाफ की संख्या का निर्धारण एवं परिवर्तन के लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता हैं ।" "पुनः संकल्प लिया जाता है कि व्यक्तियों की नियुक्ति प्रोजेक्ट के जरुरत के अनुसार हो ।"
एजेन्डा नंबर-18 **कंपनी में मानव संसाधन की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार-विमर्श ।** निदेशक मंडल को अवगत कराना है कंपनी के प्रारंभिक संचालन के लिए निम्लिखित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता है । अतः निदेशक मंडल निर्णय लेना चाहें:-	"निदेशक मंडल द्वारा शैक्षणिक योग्यता एवं पद नाम में संशोधन के विचार किये जाये ताकि योग्य एवं dynamic लोगो की नियुक्ति कर सके, जिससे वाराणसी स्मार्ट सिटी की परियोजनाओ का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो सके ।" 1- पद महाप्रबंधक में शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग मैंस्नातकके साथ शहरी नियोजन/पर्यावरण/यातायात में स्नातकोत्तर की उपाधि ।

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

पद	संख्या	शैक्षिणक योग्यता	अनुभव	नियुक्ति
महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट)	1	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं शहरी नियोजन में स्नातकोत्तर	1- केंद्र या राज्य सरकार में अधिशासी अभियंता अथवा सहायक शहरी नियोजन के रूप में कम से कम 15 वर्ष का कार्य अनुभव ।	प्रतिनियुक्ति
लेखाकार	1	मान्यता प्राप्त विश्वविध्यालय से 55 प्रतिशत अंको से बी. कॉम स्नातक	कंपनी लेखा में 5 साल का कार्य अनुभव	संविदा
डेस्कटॉप ओपेरटर	2	मान्यता प्राप्त विश्वविध्यालय से कंप्यूटर साइंस या एम. सी. ए. डिग्रीधारक	अनुभव	संविदा
कार्यालय सहायक	2	मान्यता प्राप्त विश्वविध्यालय से स्नातक	----------	संविदा

2- लेखाकार पदनाम को सहायक प्रबंधक लेखा एवं अनुभव को 3 वर्ष से 5 वर्ष किया जाये ।

3- डेस्कटॉप ऑपरेटर को सहायक प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी किया जाये ।

इन सभी पदों के लिए जॉब प्रोफाइल एवं पारिश्रमिक पहले तय किया जाय और कोशिश की जाय MULTITASKING कर्मचारी नियुक्त किये जाये ।

निदेशक मण्डल द्वारा यह अपेक्षा की गयी की वाराणसी स्मार्ट सिटी में सम्मलित घटकों के प्रकृति के अनुसार विशेषज्ञ / पदों का चिन्हांकन, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व वेतन / पारिश्रमिक का निर्धारण विशेषज्ञता के साथ कर के पुनर्निर्धारित किया जाय ।
उक्त संशोधित विवरण के अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया ।

एजेन्डा नंबर-19

Smart City परियोजना के क्रियान्वयन हेतु PMC की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार- विमर्श एवं निर्णय ।

स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निम्लिखित पदों के साथ PMC का चयन प्रस्तावित है:-

निदेशक मंडल से अनुरोध हैं कि PMC के चयन के लिए अहर्ता, चयन एवं अन्य शर्तो को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत करना चाहें ।

"संकल्प लिया जाता है कि P.M.C के रूप में किसी सक्षम एजेंसी को चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए शीघ्रात-शीघ्र कराया जाय"
"पुनः संकल्प लिया जाता है कि एक उप समिति बनाई जाये जिसमे निम्न अधिकारियो को नामित किया जाता है :-

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

	1- श्री श्रीहरि प्रताप शाही, नगर आयुक्त, वाराणसी । 2- श्री विशाल भारद्वाज अपर निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन निदेशालय /नगरीय निकाय निदेशालय 3- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, लखनऊ । यह उप समिति उपलिखित एजेन्डा संख्या 17, 18 एवं 19 के सम्बन्ध में सुविचारित प्रस्ताव तैयार करा कर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी । "पुनः संकल्प लिया जाता है कि PMC के चयन के लिए अहर्ता, चयन की पद्धति एवं अन्य शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता है ।"
एजेन्डा नंबर-20 **SHPSC के resolution को अंगीकृत करने एवं स्वीकृत Varanasi Smart City Proposal के क्रियान्वयन से सम्बंधित Para Statal, Board एवं वैधानिक प्राधिकारी के साथ वैधानिक/कॉन्ट्रैक्टचुअल व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श।** निदेशक मंडल से अनुरोध है कि SHPSC के resolution को अंगीकृत करने एवं स्वीकृत Varanasi Smart City Proposal के क्रियान्वयन से सम्बंधित Para Statal, Board एवं वैधानिक प्राधिकारी के साथ वैधानिक/ कॉन्ट्रैक्टचुअल व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत करना चाहें ।	"संकल्प लिया जाता है कि SHPSC के resolution को अंगीकृत करने एवं स्वीकृत Varanasi Smart City Proposal के क्रियान्वयन से सम्बंधित Para Statal, Board एवं वैधानिक प्राधिकारी के साथ वैधानिक/ कॉन्ट्रैक्टचुअल व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री श्रीहरि प्रताप शाही को अधिकृत किया जाता हैं जो समय-समय पर कार्यदायी संस्थाओ की बैठक बुलाकर उनकी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।"
एजेन्डा नंबर-21 **कंपनी का बैंक खाता खोले जाने एवं खातो के संचालन के सम्बन्ध में निर्णय ।** वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वित्तीय लेनदेन हेतु कंपनी के नाम से निम्न चालू खाते खोले जाने की आश्यकता हैं:- 1- ग्रान्ट फण्ड खाता 2- सामान्य चालू खाता	"संकल्प लिया जाता है कि निम्न खाते 1- ग्रान्ट फण्ड खाता 2- सामान्य चालू खाता इस सम्बन्ध में यह संकल्प लिया गया कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 18-11-2016 तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जाय, इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

इस हेतु(राष्ट्रीयकृत बैंक) में खोले जाने पर निर्णय लिया जाना है | इससे क्रम में निदेशक मंडल से अनुरोध है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नगर निगम के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को उक्त खाते के संचालन हेतु अधिकृत करने हेतु निर्णय लेना चाहें |	किया गया तथा खाते के संचालन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री श्रीहरि प्रताप शाही एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को अधिकृत किया जाता है |" निदेशक मंडल ने यह सुझाव दिया कि यह खाते Auto Flexi Account की तरह संचालित हो |"
एजेन्डा नंबर-22 **कंपनी के आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN) का आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में |** कंपनी के गठन के उपरांत आयकर अधिनियम के अंतर्गत यह एक वैधानिक व्यक्ति के पारिभाषित हैं | अतः इसका पृथक स्थायी खाता संख्या (PAN) एवं कटौती खाता संख्या (TAN) लिया जाना विधिसम्मत है | अतः निदेशक मंडल से अनुरोध है कि किसी एक निदेशक को आयकर विभाग में कंपनी के रजिस्ट्रेशन एवं स्थायी खाता संख्या (PAN) एवं कटौती खाता संख्या (TAN) प्राप्त करने हेतु अधिकृत करना चाहें |	"संकल्प लिया जाता है कि आयकर विभाग में कंपनी के रजिस्ट्रेशन एवं स्थायी खाता संख्या (PAN) एवं कटौती खाता संख्या (TAN) प्राप्त करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री श्रीहरि प्रताप शाही एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को संचालन हेतु अधिकृत किया जाता है |"
एजेन्डा नंबर-23 **कंपनी सचिव की नियुक्ति सम्बन्ध में |** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्राविधानो के अनुसार प्रत्येक कंपनी जिसकी चुकता पूँजी (Paid up Capital) रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक है, उसे एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव (जो कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के अनुसार अर्हहो) को नियुक्त करना अनिवार्य है |	"संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल/अंशधारियो एवं इनकी समितियों/उपसमितियों से सम्बंधित बैठक के कार्यवृत को अंकित करने एवं उन्हें अनुरक्षित करने, समय-समय पर ई-फाइलिंग से रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी कार्यालय कानपुर/मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्पनी अफेयर्स नई दिल्ली में दाखिल किये जाने के लिए श्रीमती नमिता उज्वल, वाराणसी

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

निदेशक मंडल को अवगत करना है कि कंपनी की वर्तमान चुकता पूँजी रु. 50.00 लाख है । ऐसी स्थिति में पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं हैं । भविष्य में यदि कंपनी सचिव की नियुक्ति धारा 203 के अधीन अनिवार्य होगी तो निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्ताव विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा । निदेशक मंडल को अवगत करना है कि कंपनी अधिनिया म के अनुसार कंपनी की कार्यवाही जारी रखने हेतु किसी व्यवसायिक कंपनी सचिव की सेवाएं लेना उचित प्रतीत होता है । निदेशक मंडल से अनुरोध है की कंपनी के निदेशक मंडल/अंशधारियो एवं इनकी समितियों/उपसमितियों से सम्बंधित बैठक के कार्यवृत को अंकित करने एवं उन्हें अनुरक्षितकरने, समय-समय पर ई-फाइलिंग से रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी कार्यालय कानपुर/मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्पनी अफेयर्स नई दिल्ली में दाखिल किये जाने के लिए श्रीमती नमिता उज्वल, वाराणसी को कंपनी सचिव के रूप में अधिकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करना चाहे उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए रु. 10,000 प्रति माह एवं रु. 5000 प्रति बैठक निर्धारित करने पर विचार करना चाहें ।	को कंपनी सचिव के रूप में अधिकृत करते हुए उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए रु. 10,000 प्रति माह एवं रु. 5000 प्रति बैठक निर्धारित किया जाता है ।"
<u>एजेन्डा नंबर-24</u> **कंपनी के वित्तीय प्रकरण को निष्पादित करने' लेखो को अनुरक्षित करने, बैलेंस शीट के निर्माण इत्यादि हेतु कंपनी के चार्टर्ड एकाउंटेंट(CA)की नियुक्ति के संबंध में ।** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(13) एवं 128 के अनुपालन में प्रतेककंपनी को अपने पंजीकृत कार्यलय पर लेखो का अनुरक्षण करना अनिवार्य है जो कम्पनी अधिनियम की धाराओ एवं समय-समय पर आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस् का पालन करने हेतु हो । अतः इस संबंध में श्री डी. के. मित्तल, वाराणसी को चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में रु 15000/- प्रति माह मानदेय पर जाने हेतु निर्देशक मण्डल निर्णय लेना चाहें ।	"संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(13) एवं 128 के अनुपालन में प्रत्येक कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय पर लेखो का अनुरक्षण करना अनिवार्य है जो कम्पनी अधिनियम की धाराओ एवं समय-समय पर आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस् का पालन करने हेतु हो । अतः इस संबंध में श्री डी. के. मित्तल, वाराणसी को चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में रु 15000/- प्रति माह मानदेय पर अधिकृत किया जाता हैं ।"
<u>एजेन्डा नंबर-25</u> **<u>कंपनी के दिन प्रतिदिन कार्यो के निष्पादन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में ।</u>**	"संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के दिन - प्रतिदिन के संचालन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री श्रीहरि प्रताप शाही को निम्न सीमा तक वित्तीय अधिकार दिए जाते है ।"

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

निदेशक मंडल से अनुरोध है कि कंपनी के दिन - प्रतिदिन के संचालन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निम्नवत वित्तीय अधिकार दिए जाने पर विचार करना चाहें:-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी	रु. 40.00 लाख प्रतिमाह

मुख्य कार्यकारी अधिकारी	रु. 40.00 लाख प्रतिमाह

एजेन्डा नंबर-26

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से |

1- निदेशक मंडल को अवगत कराना है कि पी. एम. सी. के चयन में 03 माह की अवधि लगना संभावित है | इस अवधि के लिए पी. एम. सी. के रूप में एन. बी. सी. सी. या अन्य उपयुक्त एजेंसी की सेवाएं लिए जाने पर विचार करना चाहें |

2- निदेशक मंडल के समक्ष कंपनी के अति आवश्यक खर्चों का प्रस्तावित बजट निम्नवत है , अनुमोदन करना चाहें :-

क्रम. संख्या	मद	अनुमानित व्यय (रु.)
1	ऑफिस स्टेशनरी, बोर्ड इत्यादि	25000
2	नवीन कार्यालय की स्थापना	
a	अधिष्ठान	25,00,000
b	वेतन	10,00,000
c	स्थानीय परिवहन	3,00,000
d	आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	5,00,000
e	कार्यालय व्यय	5,00,000
f	विविध	2,00,000
g	परामर्शी (एडवाईजर)	1,70,000
3	योग	51,95,000

1- निदेशक मण्डल में श्री वी के चौरसिया प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पी एम सी के चयन में विलम्ब होना संभावित है इस अवधि में वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की परियोजनाओ के गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एन. बी. सी. सी. (NBCC) को जो शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है से पी. एम. सी. (PMC) के रूप में कार्य लिए जाने पर विचार किया जा सकता है |"

2- पुनः संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मण्डल द्वारा इस अवधि में एन. बी. सी. सी. (NBCC) जोकि पी. एम. सी. (PMC) के रूप में कार्य करेगी | जिसके लिए किसी भी तरह कि पारिश्रमिक देय नहीं होगा | तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं एन. बी. सी. सी. के अधिकारीगण से पत्राचार कर अस्थायी पी. एम. सी. के गठन की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करे |"

3- "पुनः संकल्प लिया जाता है अति आवश्यक खर्चे का प्रस्तावित बजट का अनुमोदन किया जाता है जो निम्नवत है"

क्रम. संख्या	मद	अनुमानित व्यय (रु.)
1	ऑफिस स्टेशनरी, बोर्ड इत्यादि	25000
2	नवीन कार्यालय की स्थापना	
a	अधिष्ठान	25,00,000

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b	वेतन	10,00,000
c	स्थानीय परिवहन	3,00,000
d	आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	5,00,000
e	कार्यालय व्यय	5,00,000
f	विविध	2,00,000
g	परामर्शी (एडवाईजर)	1,70,000
3	योग	51,95,000

अध्यक्ष महोदय के विचारानुसार किसी भी कार्य का बजट पहले निर्धारित कर विहित/ औपचारिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए एवं समस्त खर्च सम्बन्धी बिल / देयक की डुपलिकेसी को जाँच कर भुगतान की कार्यवाही की जाये ।

(श्रीहरि प्रताप शाही)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष

Chairman's Initial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional